कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 3(10)2023 / कार्मिक / प्रमुवसं / विदेश यात्रा–08073 / दिनांक :

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित विवरणानुसार उनके स्वयं के प्रार्थना पर विदेश यात्रा मक्का एवं मदना (सउदी अरब) जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पद	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	पदस्थान स्थान	विदेश भ्रमण अवधि
1	श्री मोहम्मद अशफाक, वरिष्ठ सहायक	21.06.1984	16.08.2017	मुख्य वन संरक्षक, कोटा	20.12.2023 से 12.01.2024

शर्तें :–

1. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगें, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित माना जावेगा एवं उनके विरूद्ध आर.एस.आर. 1951 के नियम 82 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. एक बार में स्वीकृत अवकाश की वृद्धि नहीं की जावेगी।
4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेवे :
   (i) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय / संस्था का राजकार्य / शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
   (ii) कार्मिक के द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
   (iii) कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित / विचाराधीन नहीं है।
   (iv) कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच / कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व संबंधित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जावेगी।
9. विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन / व्यवसाय / नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी भी राजकीय अभिलेख / सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

RajKaj Ref
5158068

Signature valid

Digitally signed by Munish Kumar Garg
Designation : Principal Chief
Conservator Of Forest
Date: 2023.12.12 1[illegible]:11:09 IST
Reason: Approved

12. वे विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेंगे एवं अवकाश समाप्त होते ही कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया आपकी होगी।

(मुनीश कुमार गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 3(10)2023 / कार्मिक / प्रमुवसं / विदेश यात्रा--08073 / 6724-27 दिनांक : 13/12/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य वन संरक्षक कोटा को उनके पत्रांक एफ 3( )कार्मिक / समुवसं / 2023--24 / 5514 दिनांक 22.11.2023 के क्रम में।
2. उप वन संरक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट पर प्रकाशन करने हेतु।
3. श्री मोहम्मद अशफाक, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
4. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
5158068

Signature valid
Digitally signed by Munish Kumar Garg
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.12.12 1?:11:09 IST
Reason: Approved